

दिनांक 30.5.18 को पेश हों।

3.5.18

पत्रावली आदि काम को ही मसुदा में पेश हुई।
 पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक
 आवली काग किया गया। प्रस्तुत प्रकार में प्रति. नं.
 द्वारा ~~वर्ष~~ पूर्व में वादी को एवं उसी तारीख को पुनः
 प्रतिवादी नं. 2 को कार्रवाई शिष्ट विद्युत पत्र को
 वै-चाण किया जाया जाया जांचित किया है तथा यह
 भी जांचित किया है कि प्रति. नं. 2 के नाम
 विद्युत पत्र के अनुसार नामान्तरण भी तस्वीर हो
 चुका है। वादी द्वारा प्रति. नं. 2 के पक्ष में करवाई
 गये विद्युत पत्र एवं नामान्तरण को संश्लेष
 आयालय में सुनीली नहीं है। प्रस्तुत प्रकार
 सिविल सेक्टर का होने के कारण वादी प्रस्तुत वा
 पत्र के कार्रवाई कोई अनुलोप प्राप्त करने का
 अधिकारी नहीं है। वाद पत्र आधारहीन होने
 के स्वरूप किया जाया जाया है। पत्रावली फंसल
 शुभार होकर नम्बर को काम हो तथा वाद लम्बी
 दायित्व दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 (व्यक्ति)